

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक क्लर्क (SDO) बांधु मुकाम.....

..... कुशाराम बनाम नगाराम वर्मा

किस्म मुकदमा..... सी० ड्रावेदन 111, 128 RLR नं. 13/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/01/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री रतनाराम चौकी ने यह प्रार्थनी पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/02/2022 को पेश हो।</p>	
21/02/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विपार्थी- जानों के नोटिस तामिल नाम तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विपार्थी/विपार्थीगण वाकजुस तामिल अनुपस्थित/तामिल समग्र लीन वार कावज लगाई गई दिनांक कावज 5.45 PM पर लगाई गई विपार्थीगण स्वयं या उनकी तरफ से कोई अधिकतम उपस्थित नहीं हुआ लिथना विपार्थीगणों के बिलड एडवर्ना डार्पोंदी मिल के लाई जाली है मतः वास्ते बटम पत्रावली दिनांक - 23/02/2022 को पेश है।</p>	<p>सहायक क्लर्क (SDO) बांधु</p>

(SDO) बांधु


न. न.
जी. डी.
तामिल न.

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज
-------------	----------------------------------

23/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकरं नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(300) बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2022/169
प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 23/3/2022
विप्रार्थीगण

1. कुम्भाराम पुत्र दुर्गाराम,
जाति जाट, निवासी बेरी नाडी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. नगाराम पुत्र चैनाराम वगैरा 55,
जाति जाट, निवासी सवाऊ पदमसिंह,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 13/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - बेरी नाडी, पटवार मण्डल - सवाऊ पदमसिंह, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 481/113, 482/113 रकबा क्रमशः 9.7124, 7.2358 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद /2022/ 170 - 174

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कुम्भाराम पुत्र दुर्गाराम,
4. विप्रार्थी श्री नगाराम पुत्र चैनाराम वगैरा 55,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक (SDO) बायतु

23/03/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु